आदेश की प्रतिलिपि

न्यायालय – श्रीमती अनिता डहरिया, सत्र न्यायाधीश महासमुंद

(छ.ग.)

CNR–CGMA 01–001649/2026
जमानत याचिका क्रमांक 820/2026

अंशु पांडे पिता स्व० प्रमोद कुमार पांडे, उम्र 20 वर्ष,
निवासी वार्ड नं. 01 भानपुर, थाना व तहसील
बागबाहरा, जिला महासमुंद छ०ग०

---------- आवेदक/अभियुक्त

विरूद्ध

छ.ग. राज्य
द्वारा–थाना बागबाहरा
जिला–महासमुंद (छ.ग.)

------ अनावेदक/अभियोजन

14–08–2026

आवेदक/अभियुक्त अंशु पांडे की ओर से श्री ए०के० जिलानी अधिवक्ता ।

अनावेदक/शासन की ओर से श्री संजय गिरि, लोक अभियोजक ।

01. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागबाहरा, जिला महासमुंद छ०ग० के न्यायालय से दांडिक प्रकरण क्रमाँक 1064/20226, शासन विरुद्ध अंशु पाण्डेय व एक अन्य का मूल अभिलेख एवं थाना बागबाहरा के अपराध क्रमाँक 121/2026, अंतर्गत धारा 303(2) भा०न्या०संहिता की केस डायरी की द्वितीय प्रति भी प्राप्त ।

02. आवेदक/अभियुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–483 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है कि आवेदक/अभियुक्त को थाना बागबाहरा के अपराध क्रमाँक 121/2026, अपराध धारा 303 भा०न्या०सं० के अपराध में गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागबाहरा, जिला महासमुंद छ०ग० के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जहाँ आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत धारा 480 भा०ना०नु०सं० 2023 का जमानत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागबाहरा द्वारा दिनाँक 07–08–2026 को निरस्त किया गया है । आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है,उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जिससे उपरोक्त अपराध धारा का गठन होता हो। थाना बागबाहरा के द्वारा झूठे प्रकरण में फंसाया गया है । आवेदक/अभियुक्त वार्ड नं. 01 भानपुर, थाना व तहसील बागबाहरा, जिला महासमुंद छ०ग० का स्थाई निवासी है, ऐसी स्थिति में न्यायालय अगर आवेदक/अभियुक्त को सक्षम जमानत का लाभ देती है, तो उसके कहीं अन्यत्र फरार या भूमिगत होने की व अभियोजन साक्षियों को प्रभावित, प्रताडित करने की संभावना नहीं है । अतः जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया है ।

03. जमानत आवेदन के समर्थन में आवेदक की ओर से उसके मित्र रमेश कुमार यादव पिता स्व०रामभरोसे यादव, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम भानपुर, थाना, तहसील बागबाहरा, जिला महासमुंद छ०ग० का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसने बताया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत याचिका है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी०एन०एस० किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ०ग० में लंबित अथवा निराकृत नहीं है,

इसी शपथ पत्र के द्वारा अधिवक्ता नियुक्ति का भी समर्थन किया गया है ।

04. जमानत आवेदन पत्र पर उभय पक्ष को सुना गया ।

05. मूल अभिलेख और पुलिस थाना बागबाहरा, जिला महासमुन्द छ.ग. से प्राप्त केस डायरी की द्वितीय प्रति का अवलोकन किया गया ।

06. आवेदक/अभियुक्त की ओर से आवेदन के अनुसार तर्क किया गया है कि वह निर्दोष है, प्रकरण के विचारण एवं निराकरण में समय लगने की संभावना है । जमानत के समस्त शर्तो का पालन करने तत्पर है । अतः जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया है । साथ ही थाना बागबाहरा के अपराध क्रमाँक 156/2022, 129/2024 की क्रमशः निर्णय, आदेश पत्रिका, प्रथम सूचना पत्र एवं अंतिम प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति पेश किया है ।

07. अतिरिक्त लोक अभियोजक ने तर्क किया है कि आवेदक/अभियुक्त ने प्रार्थिया के दुकान के सामने से मोटरसायकल की चोरी की है । अपराध दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है, विचारण शेष है, जमानत का दुरूपयोग कर सकता है, जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

08. पुलिस थाना बागबाहरा से प्राप्त केस डायरी अनुसार प्रार्थिया रोशनी साहू के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 20/06/2026 के रात्रि लगभग 10.00 बजे प्रतिदिन की तरह वह दुकान बंद कर अपने मोटरसायकल एच एफ. डिलक्स क्रमांक सी.जी. 06 एच.एफ. 0502 को अपनी दुकान के सामने हैण्डल लॉक कर खड़ी करके घर अंदर सो गई थी, दिनांक 21/06/2026 के सुबह लगभग 05.00 बजे सोकर उठाकर देखी, तो उसके दुकान के सामने रखी उसकी मोटरसायकल एच

एफ. डिलक्स क्रमांक सी.जी. 06 एच.एफ. 0502 नहीं थी, जिसे आसपास पता तलाश किया किन्तु नहीं मिला, की सूचना में थाना बागबाहरा में अज्ञात के विरूद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है । विवेचना के दौरान आरोपीगण का पता तलाश किया जा रहा था, वाहन चेकिंग के दौरान थाना परिसर के सामने संदेह के आधार पर बिना नंबर मोटरसायकल को रोक कर चालक एवं पीछे बैठे व्यक्तियों से पूछताछ करने पर एवं वाहन का नंबर प्लेट के संबंध में पूछताछ करने पर अपने पास रखे आगे व पीछे का नंबर प्लेट पेश करने पर वाहन का कागजात की मांग करने पर आरोपीगण के द्वारा उक्त मोटरसायकल को दिनांक 21/06/2026 को चंडी मंदिर के पास दुकान के सामने से चोरी करना बताया। आवेदक/अभियुक्त अंशु पांडे व अन्य आरोपी बलराम राम का मेमोरेण्डम कथन लिया गया है एवं उनसे एक हीरो एच.एफ. डिलक्स मोटरसायकल क्रमांक सी.जी. 06 एच.एफ. 0502 की जब्ती की गई है एवं आवेदक/अभियुक्त अंशु पांडे एवं सहअभियुक्त बलराम साहू को गिरफ्तार किया गया। आवेदक/अभियुक्त अंशु पांडे एवं सहअभियुक्त बलराम साहू के विरूद्ध थाना बागबाहरा में अपराध क्रं. 121/2026 अन्तर्गत धारा. 303 (2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध दर्ज किया गया है ।

09क. केस डायरी के साथ थाना बागबाहरा द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य अपराध में संलप्तिता सम्बन्धी जानकारी मय प्रतिवेदन पेश, जिसमें आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध थाना बागबाहरा में क्रमशः **01.** अपराध क्रमाँक 156/2022, धारा 294, 323, 506 भा०न्या०सं०, **02.** अपराध क्रमाँक 129/2024, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कुल दो अपराध अपराध दर्ज होना बताये हैं । आवेदक/अभियुक्त द्वारा

अपराध क्रमाँक 156/2022, धारा 294, 323, 506 भा०न्या०सं० की सत्यापित प्रति पेश किया है, जिसमें अभियुक्त को भर्त्सना किया जाकर छोड़ा गया है । एक अन्य अपराध क्रमाँक 129/2024, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के संबंध में थाना बागबाहरा से उक्त अपराध क्रमाँक के संबंध में आर्डरसीट की सत्यापित प्रति पेश किया गया है। उक्त दस्तावेज का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार उक्त अपराध आरोपी के विरुद्ध प्रकरण अभी विचाराधीन (साक्ष्य के स्तर पर) है ।

ख. प्रकरण के अन्य अभियुक्त बलराम साहू की जमानत याचिका दिनाँक 29–07–2026 को स्वीकार की गयी है, आवेदक/अभियुक्त अंशु पांडे की जमानत याचिका सहअभियुक्त बलराम साहू की जमानत याचिका से भिन्न नहीं है। आवेदक/अभियुक्त अंशु पांडे दिनाँक 29–06–2026 से अभिरक्षाधीन है, उसकी उम्र 20 वर्ष की है । प्रकरण में विवेचना पूर्ण होकर अभियोग पत्र दिनाँक 25–07–2026 को पेश हो चुका है। विचारण में समय लगने की संभावना है। आवेदक/अभियुक्त अंशु पांडे के विरूद्ध दर्ज अपराध आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है। पंजीबद्ध अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है।

10. उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्य तथा परिस्थितियों में प्रकरण के गुणदोष पर आगे और कोई टिप्पणी किए बिना, शर्तो के अधीन जमानत की प्रार्थना स्वीकार करने योग्य है। अतः आवेदक/अभियुक्त अंशु पांडे की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाता है ।

11. आवेदक/अभियुक्त अंशु पांडे द्वारा निम्नलिखित शर्तों से आबद्ध होते हुए आवेदक की ओर से **15,000–15,000/–**

(पंद्रह–पंद्रह हजार) रूपये का **दो सक्षम स्थानीय जमानत** एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र विचारण न्यायालय के संतुष्टि योग्य प्रस्तुत करें तो आवेदक/अभियुक्त अंशु पांडे को थाना बागबाहरा के अपराध क्रमांक 121/2026 धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता में जमानत पर निम्न शर्तों के साथ छोड़ा जावेः–

शर्तेः–

1. आवेदक/अभियुक्त अन्य किसी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होगा ।

2. आवेदक/अभियुक्त विचारण के प्रत्येक सुनवाई तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जिससे विचारण बाधित न हो ।

3. मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस प्राधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नही देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा ।

4. निष्पादित बंधपत्र के शर्तो के अनुसार उपस्थित होगा ।

किसी भी शर्त का उल्लंधन किया जाना पाये जाने पर यह जमानत स्वतः निरस्त मानी जाएगी ।

12. जमानत आदेश की प्रति के साथ केस डायरी की द्वितीय प्रति थाना बागबाहरा, जिला महासमुंद को वापस किया जावे तथा आदेश की प्रति मूल अभिलेख सहित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागबाहरा, जिला महासमुंद को सूचनार्थ भेजी जावे।

13. जेल अधीक्षक, जिला जेल महासमुंद और सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद छ.ग. को उनके ई–मेल के

माध्यम से जमानत आदेश के सम्बध में सूचित किया जावें ।

14. परिणाम दर्ज कर, प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

ANITA DAHARIYA
Digitally signed by ANITA DAHARIYA
Date: 2026.08.14 17:31:40 +0530

(श्रीमती अनिता डहरिया)
सत्र न्यायाधीश,
महासमुंद (छ.ग.)